

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,
गृह विभाग।

आदेश

उपाधीक्षक श्री रामानुज कुमार, उपाधीक्षक को निलंबन से मुक्त किया गया है और वे सम्प्रति निलंबन अवधि के लिए निर्धारित किये गये मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं। अतः निलंबन से मुक्ति के उपरान्त श्री कुमार को उनके नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित कारा में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	कर्मि का नाम एवं पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री रामानुज कुमार, उपाधीक्षक	गया	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर

2. संबंधित काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में पदस्थापित कर्मि को अनिवार्य रूप से विरमित करते हुए उन्हें अपने नव पदस्थापन कारा पर योगदान करने का निदेश दें।




महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—..... 479

पटना, दिनांक..... 19जनवरी, 2015।

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, सभी संबंधित केन्द्रीय कारा/श्री रामानुज कुमार, उपाधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—..... 479

पटना, दिनांक..... 19जनवरी, 2015।

प्रतिलिपि:—संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—..... 479


पटना, दिनांक..... 19जनवरी, 2015।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापक-..... 479 पटना, दिनांक..... 19 जनवरी, 2015।
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।